

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**  
मांग संख्या 74  
**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1690.71	144.19	1834.90	1780.49	140.53	1921.02	1679.16	149.17	1828.33	
पूंजी	66.59	...	66.59	8.24	...	8.24	28.84	...	28.84	
जोड़	<b>1757.30</b>	<b>144.19</b>	<b>1901.49</b>	<b>1788.73</b>	<b>140.53</b>	<b>1929.26</b>	<b>1708.00</b>	<b>149.17</b>	<b>1857.17</b>	
(करोड़ रुपए)										
<b>सांख्यिकी</b>										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	4.54	4.54	...	5.92	5.92	...	8.10	8.10
2. पशु कल्याण	2406	15.56	0.53	16.09	17.61	0.53	18.14	18.00	0.53	18.53
<b>जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>										
3. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	3454	9.45	82.64	92.09	7.01	77.78	84.79	8.62	81.62	90.24
4. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	3454	63.90	9.84	73.74	6.04	10.24	16.28	40.36	10.36	50.72
5. भारतीय सांख्यिकी संस्थान	3454	12.37	40.49	52.86	12.37	40.18	52.55	15.93	42.42	58.35
6. कार्यक्रम कार्यान्वयन	3454	1.90	...	1.90	1.45	...	1.45	2.35	...	2.35
7. आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी	3454	0.30	3.47	3.77	0.30	3.30	3.60	1.10	3.42	4.52
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	5475	56.08	...	56.08	7.87	...	7.87	28.84	...	28.84
जोड़	<b>56.38</b>	<b>3.47</b>	<b>59.85</b>	<b>8.17</b>	<b>3.30</b>	<b>11.47</b>	<b>29.94</b>	<b>3.42</b>	<b>33.36</b>	
8. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	7.23	...	7.23	5.71	...	5.71	12.80	...	12.80
	4552	10.51	...	10.51	0.37	...	0.37	...	...	...
जोड़	<b>17.74</b>	<b>...</b>	<b>17.74</b>	<b>6.08</b>	<b>...</b>	<b>6.08</b>	<b>12.80</b>	<b>...</b>	<b>12.80</b>	
<b>जोड़ - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>	<b>161.74</b>	<b>136.44</b>	<b>298.18</b>	<b>41.12</b>	<b>131.50</b>	<b>172.62</b>	<b>110.00</b>	<b>137.82</b>	<b>247.82</b>	
<b>जोड़ - सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन</b>	<b>177.30</b>	<b>141.51</b>	<b>318.81</b>	<b>58.73</b>	<b>137.95</b>	<b>196.68</b>	<b>128.00</b>	<b>146.45</b>	<b>274.45</b>	
9. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	2.68	2.68	...	2.58	2.58	...	2.72	2.72
<b>अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</b>										
राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता-विशेष केन्द्रीय सहायता										
10. संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना	2553	1580.00	...	1580.00	1730.00	...	1730.00	1580.00	...	1580.00
<b>जोड़ - कार्यक्रम कार्यान्वयन</b>	<b>1580.00</b>	<b>2.68</b>	<b>1582.68</b>	<b>1730.00</b>	<b>2.58</b>	<b>1732.58</b>	<b>1580.00</b>	<b>2.72</b>	<b>1582.72</b>	
<b>कुल जोड़</b>	<b>1757.30</b>	<b>144.19</b>	<b>1901.49</b>	<b>1788.73</b>	<b>140.53</b>	<b>1929.26</b>	<b>1708.00</b>	<b>149.17</b>	<b>1857.17</b>	
<b>ग. आयोजना परिव्यय*:-</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आ.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब. बा.सं.	जोड़
<b>केन्द्रीय योजना</b>										
1. पशु कल्याण	12406	15.56	...	15.56	17.61	...	17.61	18.00	...	18.00
2. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	144.00	...	144.00	35.04	...	35.04	97.20	...	97.20
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	17.74	...	17.74	6.08	...	6.08	12.80	...	12.80
<b>जोड़ - सांख्यिकी राज्य योजनाएं</b>	<b>177.30</b>	<b>...</b>	<b>177.30</b>	<b>58.73</b>	<b>...</b>	<b>58.73</b>	<b>128.00</b>	<b>...</b>	<b>128.00</b>	
1. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	43601	1580.00	...	1580.00	1730.00	...	1730.00	1580.00	...	1580.00
<b>कुल जोड़</b>	<b>1757.30</b>	<b>...</b>	<b>1757.30</b>	<b>1788.73</b>	<b>...</b>	<b>1788.73</b>	<b>1708.00</b>	<b>...</b>	<b>1708.00</b>	

1. इसके अंतर्गत नवनिर्मित पशु कल्याण प्रभाग तथा राज्य मंत्री के कार्यालय सहित विभाग के सचिवालय व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

2. यह प्रावधान पशु कल्याण योजनाओं से संबंधित व्यय के लिए है।

3. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़े इकट्ठे करने के ऐसे उपयुक्त और मूलतः सुव्यवस्थित कार्यक्रम बनाने के कार्य से जुड़ा है जिससे नीति निर्माण के लिए आंकड़ा संकलन की कमियां दूर की जा सकें। यह संगठन पूरक आंकड़े एकत्रित करके अन्य मंत्रालयों और अभिकरणों की ओर से भी आंकड़े इकट्ठे करता है और इन्हें सारणीबद्ध भी करता है।

4. यह प्रावधान केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के लिए है जो मानकीकरण, राष्ट्रीय लेखे तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के संबंध में रिपोर्टों का संकलन तथा प्रकाशन करने तथा भारत में सांख्यिकी पद्धति के आधुनिकीकरण आदि सहित वर्गीकरण विधान संबंधी काम करने के लिए उत्तरदायी है।

5. भारतीय सांख्यिकी संस्थान सांख्यिकी संबंधी अनुसंधान, प्रशिक्षण और

उसके व्यावहारिक प्रयोग के लिए एकीकृत कार्यक्रम चलाता है। इस संस्थान का वित्तपोषण लगभग पूर्णतः सरकार के सहायता अनुदान से किया जाता है।

6. इसमें संस्थागत विकास, क्षमता निर्माण तथा सरकारी तथा निजी क्षेत्र में अवसंरचना निष्पादन प्रबंधन हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कन्ध के लिए प्रावधान किया गया है।

7. इसमें कम्प्यूटर केन्द्र जो मुख्यतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आंकड़ा प्रसंसाधन आवश्यकताओं को देखता है, के लिए प्रावधान है।

8. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।

9. इसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

10. यह प्रावधान सांसद स्थानीय विकास योजना के लिए है तथा यह आयोजना में राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में शामिल है।